/

[2019] 15 एस. सी. आर. 16

/

[2019] 15 एस सी आर।

/

मेसर्स भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर.

बनाम

भारत का संघ व अन्य ।

(2014 की सिविल अपील संख्या 7823)

/

05 दिसंबर, 2019

[आर**.** एफ**.** नरीमन**,** अनिरुद्ध बोस और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 3 ए-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 - r.96-ZP (3)-हॉट री-रोलिंग स्टील मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियम, 1997 -आर. 5-आर की वैधता।5 – भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सुप्रीम न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रश्न आर की वैधता के बारे में था।5 1997 के नियमों के अनुसार-इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था और इसके बजाय डिवीजन बेंच एक पूरी तरह से अलग प्रश्न में चला गया अर्थात आर के अधिकार।96-जेडपी (3) और उसी को बड़ी पीठ को भेजा गया था-अपीलार्थी-निर्धारिती ने कहा कि वे केवल आर के अधिकारों को चुनौती दे रहे थे।5 और इस तथ्य को चुनौती नहीं दे रहे थे कि एक निर्धारिती को आर के संदर्भ में शुल्क का भुगतान करने के लिए विवश किया जा सकता है।96-जेडपी (3) वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना जो एस निर्धारित किया गया है।3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम का ए (4)-आयोजितःलार्जर बेंच के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न तथ्यों पर नहीं उठा और जिस प्रश्न को संदर्भित किया गया था वह कुछ ऐसा नहीं है जिस पर निर्धारिती विवाद करता है-तदनुसार, मामला पैरा 20 में बताए गए प्रश्न ों और भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. के पैरा 51 में उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए डिवीजन बेंच को वापस भेज दिया गया।

/

/

/

/

भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम यूनियन

भारत और अन्य का, (2017) 5 एस. सी. सी. 598-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

(2017) 5 एस**.** सी**.** सी**. 598**

संदर्भित

पैरा **1**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2014 की सिविल अपील सं. 7823।

2006 की रिट अपील संख्या315 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.09.2013 के निर्णय और आदेश से।

/

16 ए.

17

मेसर्स भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत का संघ व अन्य ।

सह

सिविल अपील सं. 2014 की 7824,7825,2010 की एस. एल. पी. (सी) सं. 16445,2009 की 2014,2017 की 34051, टी. सी. (ग) 2010 की संख्या 20,22,23-24,34,2011 की संख्या 1,2,3,4,5,2015 की संख्या 106, टी. पी. (ग) 2016 की सं. 419,691,1200,

/

श्रीमती नलिनी चिदंबरम, के. राधाकृष्णन, बलबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री अनुश्री मेनन, विकास मेहता, सुश्री शिरीन खजुरिया, सुश्री निशा बची, सुश्री पूजा शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री शीना ताकी, सुश्री सुवर्णा दुबे, क्षितिज वैभव, श्रीमती बीना गुप्ता, शांतनु त्यागी, सुश्री नंदिता चौहान, एस. एस. श्रॉफ, एम. पी. देवनाथ, सौरभ मिश्रा, उग्र शंकर प्रसाद, जितेंद्र मोहन शर्मा, श्रीकांत एन. तेरदल, एम/एस. सी. ओ. ए. सी., सुश्री रुचिरा गोयल, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

/

1. वर्तमान संदर्भ प्रभाग के एक निर्णय से उत्पन्न होता है

इस न्यायालय की पीठ ने भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 5 एस. सी. सी. 598 के रूप में रिपोर्ट की।द.

न्यायालय के समक्ष प्रश्न निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः- “20. 1997 के नियमों के नियम 5 की वैधता को उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष दो आधारों पर चुनौती दी गई हैः

/

1. यह कि नियम अधिनियम की धारा 3-ए के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार से परे है; और

2. कि यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।क्योंकि नियम निर्माताओं के दो वर्ग बनाता हैः- (i) जिसका ए. सी. पी. वित्तीय वर्ष 1996-97 में उनके वास्तविक उत्पादन से अधिक होने के लिए निर्धारित है।

/

((ii) जिनका ए. सी. पी. वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए उनके वास्तविक उत्पादन से कम होना निर्धारित है; और

/

1997 के नियमों के दायरे में आने वाले निर्माताओं के उपर्युक्त दो वर्गों में से दूसरे पर तर्कहीन कर का बोझ लगाया गया है। "

2. डिवीजन बेंच ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।इसके बजाय, डिवीजन बेंच ने एक पूरी तरह से अलग प्रश्न पूछा, जिसे इस प्रकार प्रस्तुत किया गया थाः-

/

/

/

[2019] 15 एस सी आर।

/

“51. क्या एक निर्धारिती जो नियम 96-जेडपी (3) के संदर्भ में शुल्क का भुगतान करने के लिए एक बार चुनता है, उसे वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना आने वाले सभी समय के

लिए उक्त नियम के अनुसार गणना किए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए विवश किया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए जांच की आवश्यकता है। "

3. इस प्रश्न को तब एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया थाः- “63. इसलिए, हमें प्रत्यर्थी की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि यह मुद्दा वीनस कास्टिंग्स (2000) 4 एस. सी. सी. 206 और सुप्रीम स्टील्स (2001) 9 एस. सी. सी. 645 में इस न्यायालय के निर्णयों में शामिल है।हमारी राय में, ऊपर वर्णित कारणों के लिए, इन दोनों निर्णयों को आगे की जांच की आवश्यकता है।इसके अलावा, ये निर्णय नियम 96-जेडपी (3) के अधिकारों से संबंधित नहीं थे।तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम स्टील्स तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, हम यह उचित समझते हैं कि विधि के प्रश्न का निपटारा उचित संख्या वाली पीठ द्वारा किया जाए।इसलिए हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले को आगे के आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे। "

/

/

/

4. अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती नलिनी चिदंबरम का कहना है कि वह नियम 5 के अधिकारों को चुनौती देने के लिए न्यायालय में आई थीं, जिसके बजाय एक पूरी तरह से अलग प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।वह आगे प्रस्तुत करती है कि वह किसी भी तरह से इस तथ्य को चुनौती नहीं दे रही है कि एक निर्धारिती को वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना नियम 96-जेडपी (3) के संदर्भ में शुल्क का भुगतान करने के लिए विवश किया जा सकता है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 ए (4) के तहत निर्धारित है। 5.यह मामला होने के कारण, हम इस संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए देते हैं कि हमारे सामने रखा गया प्रश्न तथ्यों पर बिल्कुल भी नहीं उठा और जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है वह कुछ ऐसा नहीं है जिससे निर्धारिती विवाद करता है।तदनुसार, मामला तय करने के लिए एक खंड पीठ को वापस भेज दिया जाता है

/

/

भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पैरा 20 में बताए गए प्रश्न और

एक और (ऊपर)।अनुच्छेद 51 में उठाए गए मुद्दे के अलावा अन्य मुद्दे

भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य (ऊपर) में निर्णय

डिवीजन बेंच द्वारा अन्य चिह्नित मामलों में भी निर्णय लिया जा सकता है।6. अपीलों और चिह्नित मामलों को इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

/

अंकित ज्ञान

डिवीजन बेंच के समक्ष रखे जाने वाले मामले।

/